रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1976 (श्रावण 2, 1898)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1976 (SRAVANA 2, 1898)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## विषय-सूची

| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 519 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1201 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | — |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 1013 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | — |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें | — |
| भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) | 1971 |
| भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं | 2573 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश | 257 |
| भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 6337 |
| भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस | 625 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं | 49 |
| भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 1597 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस | 115 |

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. .. | 519 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 1201 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. | — |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 1013 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 1971 |
| PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 2573 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. | 257 |
| PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. | 6337 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. | 625 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners. .. .. .. .. | 49 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. | 1597 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 115 |

## भाग I -खण्ड 1
## PART I—SECTION 1

# (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

# [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 1976

संख्या ई०-11015(1)/75-हि० अ० :—भारत सरकार ने उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे:—

| | |
|---|---|
| 1. उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) | उपाध्यक्ष |
| 3. राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) | सदस्य |
| 4. राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) | —वही— |
| 5. श्री डी० एन० तिवारी, संसद सदस्य | —वही— |
| 6. श्री परिपूर्णानंद मन्थली, संसद सदस्य | —वही— |
| 7. श्री विभूति मिश्र, संसद सदस्य | —वही— |
| 8. डा० एन० एन० केलाश, संसद सदस्य | —वही— |
| 9. श्री गणेश लाल माली, संसद सदस्य | —वही— |
| 10. श्री रामलाल डी० पारिख, संसद सदस्य | —वही— |
| 11. डा० देवेन्द्र शर्मा, उप-कुलपति, गोरखपुर, विश्वविद्यालय। | —वही— |
| 12. डा० रत्नाकर पाण्डे, प्रचार मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 42, अशोक रोड, नई दिल्ली। | —वही— |
| 13. श्रीकृष्ण चन्द्र विद्यालंकार, संपादक, विस्त, 28/11, शक्ति नगर, नई दिल्ली। | —वही— |
| 14. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार | पदेन-सदस्य |
| 15. सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | सदस्य |
| 16. सचिव, (भारी उद्योग विभाग) | सदस्य |
| 17. सचिव (तकनीकी विकास) तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक | पदेन-सदस्य |
| 18. सचिव, (पूर्ति एवं सहकारिता विभाग) | —वही— |
| 19. अपर सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | सदस्य |
| 20. अपर सचिव, (भारी उद्योग विभाग) | —वही— |
| 21. श्री जी० एन० मेहरा संयुक्त सचिव (औद्योगिक विकास विभाग) | —वही— |
| 22. श्री पी० बी० कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | सदस्य |
| 23. श्री पी सी० नायक, संयुक्त सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | —वही— |
| 24. श्री ए० एफ० कुट्टो, संयुक्त सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | —वही— |
| 25. श्री सुधाकर द्विवेदी, निदेशक, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) | —वही |
| 26. श्री प्रेम नाथ धीर, डी-8, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली | —वही— |
| 27. विकास आयुक्त, लघु उद्योग | पदेन-सदस्य |
| 28. आर्थिक सलाहकार | पदेन-सदस्य |
| 29. हिन्दी कार्य के प्रभारी संयुक्त सचिव, (औद्योगिक विकास विभाग) | सदस्य-सचिव |

2. कार्य—इस समिति को कार्य उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. कार्य काल :

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहते ही वह इस समिति का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन-सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य शेष तीन वर्षों की अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर सकती है अथवा उप समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समिति की बैठकों में समय समय पर भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चत दरों पर यात्राभत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायगा।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा कार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए। (फा० सं० ई०-11015(1)/75-हि० अ०)

अरुण कुमार घोष, अपर सचिव

---

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई, 1976

सं० एफ० 1-5/76-यो०-II—राज्य सभा द्वारा श्री नीलमणि रौटरी, संसद सदस्य को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 1979 तक चुन लिया गया है।

बी० डी० गोपाला, अवर सचिव

---

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

**संकल्प**

दिनांक 28 जून, 1976

सं० ई० आर० बी०-1/76/21/69—भारत सरकार ने एक कक्ष की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसे "खाली रेलवे जमीन के उपयोग के लिये कक्ष" कहा जायगा। इस कक्ष का गठन इस प्रकार होगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डाक्टर के० एन० कौल<br>उप कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि और टेक्नोलोजी, विश्व-विद्यालय, कानपुर | अवैतनिक सलाहकार |
| 2. | श्री गौरी शंकर<br>अपर मुख्य इंजीनियर (सामान्य) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 3. | श्री पी० एस० बामी<br>संयुक्त निदेशक, वित्त (व्यय) रेलवे बोर्ड। | सदस्य |
| 4. | श्री ओ० एन० एण्डले,<br>संयुक्त निदेशक, सिविल इंजीनियर (सामान्य)<br>रलवे बोर्ड। | सदस्य-सचिव |

2. यह कक्ष रेलवे लाइनों के दोनों ओर रेलों के अन्य आहातों में स्थित खाली जमीन के उपयोग के प्रश्न की जांच करेगा और वहां पेड लगाने या खेती-बाडी की सम्भावना के बारे में सिफारिश करेगा।

3. यह कक्ष अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देगा।

बी० मोहन्ती, सचिव
रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

---

रेल मन्त्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 1976

सं० ई० आर० बी०/1/73/21/40—इस मंत्रालय के 26-7-1973 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में भारत सरकार ने 26-7-1976 से स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति के निम्नलिखित सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिये पुनः नामांकित करने का विनिश्चय किया है :—

1. स्वामी हरिनारायणनन्द
2. कुमारी एम० एल० मेरी नायडू
3. श्री रामनाथ सेठ

बी० मोहन्ती, सचिव रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

---

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 1976

सं० ई० 74-ओ० जी० 5/3/आर० बी० 3 :—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा सहायक पदक्रम प्रवर सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सचिवालय, प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा सितम्बर, 1977 में ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. प्रवर सूची में शामिल करने के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा नियत की गयी संख्या में किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों/ जनजातियों से अभिप्राय है कोई भी ऐसी जाति/जनजाति जिसका उल्लेख बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 संविधान (अण्डेमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसम अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनु-

सूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 में किया गया है।

3. परीक्षा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जायगी।

जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी वे संस्थान के परीक्षा स्कंध द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

4. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी पदक्रम का कोई स्थायी या विधिवत् नियुक्त अस्थायी कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 1977 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हों; परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

(1) सेवा काल :—उसने रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अन्तर्गत उच्च श्रेणी पदक्रम में 5 वर्ष से अन्यून अनुमोदित और निरन्तर सेवा की हो।

टिप्पणी 1:—3 वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा की सीमा उस स्थिति में भी लागू होगी जब किसी अभ्यर्थी की कुल संगणीय सेवा अंशतः रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में उच्च श्रेणी लिपिक और अंशतः रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सहायक में हो।

टिप्पणी 2:—रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी पदक्रम के स्थायी या विधिवत नियुक्त अस्थायी लिपिक को जो 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गयी आपात उद्घोषणा की प्रवर्तन अवधि के दौरान अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेनाओं में चला गया हो, सशस्त्र सेनाओं से प्रत्यावर्तन पर, सशस्त्र सेनाओं में अपने सेवा काल (जिसमें प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई हो, शामिल है) को निर्धारित न्यूनतम सेवा के लिए गिनने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 3:—वे उच्च श्रेणी लिपिक, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, भी परीक्षा में बैठने के पात्र हो सकेंगे यदि अन्यथा पात्र हों। यह उस उच्च श्रेणी लिपिक के मामले में लागू नहीं होता जो संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो या अन्य सेवा पर 'अंतरित' हो और रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा तक में उच्च श्रेणी पदक्रम में उसका स्वतव (लियन) न हो।

(2) आयु:—1977 में होने वाली परीक्षा के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

5. परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र है या नहीं, इस पत्र संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

6. जब तक किसी अभ्यर्थी के पास संस्थान से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा, तब तक उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. कोई अभ्यर्थी जिसकी बाबत संस्थान द्वारा घोषित किया जाता है या कर दिया गया है कि वह :—

(I) किसी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन करने या

(II) प्रतिरूपण या

(III) किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण प्राप्त करने, या

(IV) जाली दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों, जिनमें गड़बड़ की गयी हो, के प्रस्तुत करने, या

(V) गलत अथवा झूठे कथन करने या महत्वपूर्ण जानकारी के छिपाने, या

(VI) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित साधन का सहारा लेने, या

(VII) परीक्षा-हाल में अनुचित साधनों का उपयोग करने, या

(VIII) परीक्षा-हाल में दुर्व्यवहार करने, या

(IX) ऊपर के वाक्यों में बताये गये सभी कृत्यों या किसी एक कृत्य को, करने का प्रयास करने या उसके लिए अभिप्रेरित करने, जो भी स्थिति हो, का दोषी है है तो वह स्वयं आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त :—

(क) उस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा अनर्ह समझा जा सकता है जिसका वह अभ्यर्थी है; या

(ख) (I) संस्थान के परीक्षा स्कंध द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा या प्रवरण के लिए;

(II) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी नियोजन के लिए स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है; और

(ग) उस पर समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कारवाई की जा सकती है।

8. अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी साधन से किया गया कोई प्रयास संस्थान द्वारा ऐसा आचरण समझा जायेगा जो उसे प्रवेश के लिए अनर्ह बन सकता है।

9. संस्थान की सूचना के पैरा 5 (III) के अन्तर्गत फीस में रियायत मांगने वालों के सिवाय संस्थान की सूचना पैरा 5 (I) में निर्धारित फीस का भुगतान अभ्यर्थियों को अवश्य करना चाहिए।

10. परीक्षा के बाद, हर अभ्यर्थी को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों के अनुसार योग्यता के आधार पर, संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनायी जायेगी और

उसी क्रम से उतने अभ्यर्थियों की, जितने संस्थान द्वारा परीक्षा में अर्ह समझे जायें, सहायक पदक्रम की प्रवर सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की जायेगी।

परन्तु यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां सामान्य स्तर के आधार पर भरने से रह जाये तो उन्हे भरने के लिए संस्थान द्वारा स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की सिफारिश की जा सकेगी, बशर्ते वे अभ्यर्थी सहायक पदक्रम की प्रवर सूची में शामिल किये जाने योग्य हों, भले ही परीक्षा में योग्यताक्रम में उनका स्थान कहीं भी हो।

टिप्पणी :—अभ्यार्थियों को स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा परिणाम के आधार पर सहायक पदक्रम की प्रवर सूची में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाये यह विनिश्चय करना पूर्णत: सरकार की सक्षमता के अन्तर्गत होगा। इसलिए इस परीक्षा में प्रदर्शित योग्यता के आधार पर किसी अभ्यर्थी को प्रवर सूची में शामिल किये जाने का स्वत: अधिकार नही होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा पर परिणाम किस रूप में और किस ढंग से भेजा जाये इस बात का निर्णय संस्थान का परीक्षास्कंध स्वविवेक से करेगा और परिणाम के संबंध में संस्थान अभ्यर्थी से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगी।

12. परीक्षा में सफलता से चयन का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता जब तक ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, सरकार का यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी चयन के लिए सभी तरह से पात्र और उपयुक्त है।

13. कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या उसमें बैठ चुकने के बाद रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र देता है या अन्यथा सेवा छोड़ जाता है या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, या जिसकी सेवायें उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं या जो संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त किया जाता है या दूसरे पद पर अंतरित किया जाता है और रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक श्रेणी पद सेवा के उच्च श्रेणी पदक्रम मे अपना स्वत्व (लियन) नहीं रखता, वह परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

यह बात उस उच्च श्रेणी लिपिक के मामले में लागू नहीं होगी जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियुक्त हुआ हो।

रामदास, अवर सचिव, रेलवे बोर्ड।

---

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार की जायेगी :—

भाग-I–नीचे पैरा 2 में दिये गये विषयों में अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा।

भाग II–उन अभ्यर्थियों के सेवा-निवृत्त मूल्यांकन जिन के बारे में संस्थान स्वविवेक से ऐसा करने का विनिश्चय करें यह मूल्यांकन अधिकतम 100 अंकों का होगा।

2. भाग 1 में लिखित परीक्षा के विषय, अनुमत समय और प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए नियत अधिकतम अंक नीचे बताए गये हैं :—

| विषय | अधिकतम अंक | अनुमत समय |
|---|---|---|
| (i) टिप्पण और मसौदा लेखन, सार लेखन | 100 | 2 घंटे |
| (ii) भारत सरकार सचिवालय और सम्बन्ध कार्यालय में कार्य विधि अस और व्यवहार | 50 | 1½ घंटे |
| (iii) भारत के संविधान एवं सरकारी तंत्र और संसद व्यवहार और कार्यविधि का सामान्य यान ज्ञान | 50 | 1½ घंटे |
| (iv) सामान्य ज्ञान | 100 | 1½ घंटे |

3. परीक्षा का पाठ्यक्रम संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा।

4. अभ्यार्थियों को प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प की अनुमति दी जाती है, लेकिन शर्त यह है कि इनमें से कम से कम एक प्रश्न-पत्र अर्थात् (i) टिप्पणी और मसौदा लेखन और सार लेखन या (ii) भारत सरकार सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य विधि और व्यवहार या (iii) भारत के संविधान एवं सरकारी तंत्र और संसद के व्यवहार और कार्यविधि का सामान्य ज्ञान या (iv) सामान्य ज्ञान का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाये।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

(i) टिप्पण एवं मसौदा लेखन और सार लेखन :—

(1) टिप्पण, मसौदा लेखन और सारलेखन का प्रश्नपत्र—अभ्यर्थी के परिज्ञान और अभिव्यक्ति की शक्ति और टिप्पणी एवं मसौदा लिखने की सामान्य योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। सारलेखन के लिए सामान्यत गद्यांश दिये जायेंगे जिसका सारांश या सार लिखना होगा।

(2) भारत सरकार सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि और व्यवहार :—यह प्रश्न पत्र रेलवे बोर्ड सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में अभ्यर्थी के कार्यालय कार्यविधि और व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है।

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गयी कार्यालय पद्धति नियमावली का अध्ययन करें ।

(3) भारत के संविधान एवं सरकारी तंत्र और संसद् के व्यवहार और कार्यविधि का सामान्य ज्ञान-यह प्रश्न-पत्र भारत के संविधान एवं लोक सभा अथवा राज्य सभा के पद्धति के नियम और कार्य संचालन सम्बन्धी अभ्यर्थी के ज्ञान की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है ।

(4) सामान्य ज्ञान—सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र मे अन्य बातों के साथ-साथ अभ्यर्थी के भारत के भूगोल के ज्ञान एवं देश के शासनतंत्र तथा वर्तमान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रबुद्ध जानकारी, जैसी कि एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है, परखने के लिए प्रश्न पूछे जायेंगे ।

## सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जुलाई 1976

संख्या 45/3/74-एफ(पी)—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 43/12/71-एफ(पी) दिनांक 16 मार्च, 1972 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री बसु चटर्जी और श्री विक्रम सिंह को 16 मार्च, 1974 से 2 वर्ष की और अवधि के लिए 'डाकुमेंट्री फिल्म खरीद समिति' का सदस्य फिर से नामजद करती है ।

र० द० जोशी, अवर सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
## DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 2nd July 1976

No. E-11015(1)/75-HS.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Industry and Civil Supplies. Its composition functions etc. will be as given hereunder :—

1. Minister of Industry & Civil Supplies — Chairman
2. Minister of State (Shri B. P. Maurya) — Vice-Chairman
3. Minister of State (Shri A. P. Sharma) — Member
4. Minister of State (Shri A. C. George) — Member
5. Shri D. N. Tewari, M. P. — Member
6. Shri Paripoornanand Painuli, M.P. — Member
7. Shri Bibhuti Mishra, M. P. — Member
8. Dr. N. N. Kailas, M.P. — Member
9. Shri Ganesh Lal Mali, M.P. — Member
10. Shri Ram Lal D. Parikh, M.P. — Member
11. Dr. Devendra Sharma, Vice Chancellor, Gorakhpur University. — Member
12. Dr. Ratnakar Pandey, Publicity Secretary, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, 42, Ashoka Road, New Delhi. — Member
13. Shri Krishna Chandra Vidyalankar, Editor, Vitta, 28/11, Shakti Nagar, New Delhi. — Member
14. Secretary, Raj Bhasha Vibhag and Hindi Adviser to the Government of India. — *ex-officio* Member
15. Secretary, (Deptt. of I.D.) — Member
16. Secretary (Deptt. of H.I.) — Member
17. Secretary (T.D.) and Director-General, Technical Development. — Ex-Officio Member
18. Secretary, (Deptt. of Supply and Co-operation) — Member
19. Additional Secretary (Deptt. of I.D.) — Member
20. Additional Secretary, (Deptt. of H.I.) — Member
21. Shri G. N. Mehra, Joint Secretary (Deptt. of I.D.) — Member
22. Shri P. B. Krishnamurthy, Joint Secretary (Deptt. of I.D.) — Member
23. Shri P.C. Nayak, Joint Secretary, (Deptt. of I.D.) — Member
24. Shri A. F. Cutto, Joint Secretary, (Deptt. of I.D.) — Member
25. Shri Sudhakar Dwivedi, Director, Grih Mantralaya, Rajbhasha Vibhag. — Member
26. Shri Prem Nath Dhir, D-8, Green Park Extension, New Delhi. — Member
27. Development Commissioner, Small Scale Industries. — Ex-Officio Member
28. Economic Adviser
29. Joint Secretary in-charge of Hindi Work (Deptt. of I.D.) — Member-Member-Secretary

II. *Functions* :

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry of Industry & Civil Supplies and its Attached and Subordinate Offices on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes and allied issues falling within the frame-work of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs.

III. *Tenure* :

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament;

(b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti;

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. *General* :

(i) The Samiti may Co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub-Committees as may be considered necessary.

(ii) The headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other Allowances* :

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State-Governments, Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Secretariat Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditors General of India, Accountant General Commerce, Works & Miscellaneous, and all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

[F. No. E-11015(1)/75-H.S.)

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 3rd July 1976

No. F.1-5/76/Plg.II.—Shri Nilamoni Routray, M. P. has been elected by the Rajya Sabha to serve as a Member of the Central Advisory Board of Education upto 31st March, 1979.

B. D. GOPAL, Under Secy.

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th June 1976

RESOLUTION

No. ERBI/7621/69.—The Government of India have decided to set up a Cell to be called "Cell for Utilisation of vacant Railway Land." The constitution of the Cell will be as follows :—

1. Dr. K. N. Kaul,
Vice Chancellor,
C.S. Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur, Hony. Adviser

2. Shri Gauri Shankar,
Addl. Chief Engineer (G),
Northern Railway, New Delhi. Member

3. Shri P. S. Bami,
Joint Director, Finance (X)I,
Railway Board. Member

4. Shri O. N. Endley,
Joint Director, Civil Engineering (G),
Railway Board. Member-Secretary

2. The Cell will examine the question of utilisation of vacant land on both sides of Railway track as well as in other Railway premises and make recommendations on the possibility of utilising the same for cultivation or for planting of trees.

3. The Cell will submit its report within a period of 3 months.

The 29th June 1976

No. ERBI/73/21/40.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 26-7-1973, the Government of India have decided to re-nominated the following Members of the Standing Voluntary Help Committee, for a further term of three years, with effect from 26-7-1976 :—

1. Swami Harinarayananand
2. Miss M. L. Mary Naidu
3. Shri Ram Nath Seth

B. MOHANTY, Secy.
Railway Board.
& ex-officio Jt. Secretary

RULES

New Delhi, the 24th July 1976

No. E-740G5/3/RB3.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) in 1977 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes men any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution, (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management (Examination Wing) in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Examination Wing of the Institute.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Service, who on the 1st January, 1977 satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service.*—He should have rendered an approved and continuous service of not less than 3 years in the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

NOTE 1 : The limit of three years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Upper Division Clerk in the Railway Board Secretariat Clerical Service and partly as an Assistant in the Railway Board Secretariat Service.

NOTE 2 : Any permanent or regularly appointed temporary Upper Division Clerk of the Railway Board Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 3 : The Upper Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to Upper Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

2. (2) *Age.*—There will be no upper age limit for the examination to be held in 1977.

5. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

7. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall. or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable,

(a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Examination Wing of the Institute, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidate must pay the fee prescribed in para 5(i) of the Institute's Notice except those claiming fee concession under para 5(iii) of the Notice.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select list for the Assistant Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for inclusion in the select List for the Assistant Grade irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE : Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examinaiton. The number of persons to be included in the Select List for the Assistant Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the select list on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Examination Wing of the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the results.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

13. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Railway Board Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Upper Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

RAM DASS,
Under Secretary, Railway Board.

## APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subject as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates as may be decided by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

| Subject | Maximum Marks | Time allowed |
|---|---|---|
| i) Noting and Drafting, Precis writing. | 100 | 2 hours |
| ii) Procedure & Practice in the Govt, of India Secretariat and Attached offices, | 50 | 1½ ,, |
| iii) General Knowledge of the constitution of India and the machinery of Govt, & Practice and procedure in Parliament. | 50 | 1½ ,, |
| iv) General Knowledge. | 100 | 1½ ,, |

3. The syllabus for the examination will be shown in the attached schedule.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz. (i) Noting and Drafting & Precis writing, or (ii) Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat & attached Offices or (iii) General Knowledge of the Constitution of India and the machinery of Government and practice and procedure in Parliament, or (iv) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or English should indicate their intention to do so clearly in Column (6) of the application form; otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in column (6) of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Institute has discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for more superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of maximum marks in the written subjects will be made for illegible hand-writing.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

*SCHEDULE*

Syllabus of the Examination

1. Noting and Drafting and Precis writing.—The paper Noting, Drafting and Precis writing is designed to test the candidates comprehension and power of expression and general ability to write and understand notes and drafts. As for precis writing passages will usually be set for summary of precis.

2. PROCEDURE AND PRACTICE IN THE GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES.—The paper is designed to test the candidates' knowledge of Office Procedure and practices in the Government of India Secretariat and attached offices. Candidates are expected to study the Manual of Office Procedure issued by the Railway Board for this purpose.

3. GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND THE MACHINERY OF GOVERNMENT AND PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT.—The paper is designed to test the candidates knowledge of the constitution of India and the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

4. GENERAL KNOWLEDGE.—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidates' knowledge of Indian Geography as well as the country's administration as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 1st July 1976

No. 45/3/74-F(P).—In pursuance of the resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 43/12/71-F(P), dated 16th March, 1972, the Central Government hereby re-nominate Sarvashri Basu Chatterjee and Bikram Singh as members of "Documentary Films Purchase Committee", for a second term of two years, with effect from 16-3-1974.

R. D. JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976